।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 06.12.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 06.12.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, — सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, — सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दिलबाग सिंह, — सदस्य
   उप निदेशक
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 03.02.2023, 29.03.2023, 31.07.2023, 18.08.2023, 06.09.2023 व 29.09.2023 में अस्वीकृत 34 बंदियों के प्रकरणों की परिस्थितियों के परिवर्तन के बाबत पुर्नसमीक्षा करने पर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. विक्रम पत्र करण सिंह, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 10 वर्ष 03 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी के विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण, जुर्माना/जुर्माना सजा शेष होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी के विरूद्ध निस्तारित अन्य प्रकरण की जुर्माना राशि जमा करा दी गई तथा बन्दी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजावधि पूर्ण कर ली है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी विक्रम पत्र करण सिंह** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारीलाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 11 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजावधि पूर्ण कर ली है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी सांवर लाल उर्फ लालू पुत्र गिरधारीलाल** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. धन्ना उर्फ धनराज पुत्र हरजी, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 09 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 392 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बन्दी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजावधि पूर्ण कर ली है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी धन्ना उर्फ धनराज पुत्र हरजी** को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

(अ) निम्न प्रकरणों में बन्दियों द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित अपराध किया गया है, जो उनकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बन्दियों को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उनके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने तथा समाज हेतु खतरा बन सकने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन बन्दियों को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. नरेश पुत्र रामसिंह, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 13 वर्ष 10 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 27.11.2009 को राज ज्वैलर्स की दुकान पर नरेश व अन्य 15-20 आदमी फायर करते हुये दुकान के अन्दर घुस गये। इनमें से एक फायर कैलाश सोनी पर किया व दुसरा फायर उनके लडके प्रशांत पर किया। कैलाश के सीने मे गोली लगी व प्रशांत के पेट के साईड में गोली लगी और वो लोग काउंटर में रखी सोने की ज्वैलरी एक शॉल बिछाकर गठडी बांध कर ले गये। लुटेरे बाजार में फायर करते हुये भाग गये। इनमें से कुछ के पास कुल्हाडी, सरिया तथा देशी कट्टे व बन्दुक थी। ये सभी व्यक्ति पास की दुकान संजय ज्वैलर्स के यहां भी वारदात करके आये थे। कैलाश सोनी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार बन्दी द्वारा सरेआम ज्वैलरी की दुकानों पर फायरिंग कर लूटपाट की गई तथा गोली मारकर हत्या का अपराध कारित किया गया।

2. देवा पुत्र खेतिया, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 13 वर्ष 09 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 27.11.2009 को राज ज्वैलर्स की दुकान पर देवा व अन्य 15-20 आदमी फायर करते हुये दुकान के अन्दर घुस गये। इनमें से एक फायर कैलाश सोनी पर किया व दुसरा फायर उनके लडके प्रशांत पर किया। कैलाश के सीने मे गोली लगी व प्रशांत के पेट के साईड में गोली लगी और वो लोग काउंटर में रखी सोने की ज्वैलरी एक शॉल बिछाकर गठडी बांध कर ले गये। लुटेरे बाजार में फायर करते हुये भाग गये। इनमें से कुछ के पास कुल्हाडी, सरिया तथा देशी कट्टे व बन्दुक थी। ये सभी व्यक्ति पास की दुकान संजय ज्वैलर्स के यहां भी वारदात करके आये थे। कैलाश सोनी की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार बन्दी द्वारा सरेआम ज्वैलरी की दुकानों पर फायरिंग कर लूटपाट की गई तथा गोली मारकर हत्या का अपराध कारित किया गया।

3. विजय कुमार उर्फ खुशीलाल पुत्र दरपी उर्फ दुखीलाल, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 13 वर्ष 02 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में

आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

परिवादी राहुल बोथरा अपने घर में ही जवाहरात का काम करते थे, घर के ग्राउण्ड फ्लोर पर इनका कार्यालय व दुकान थी। उसके घर पर तीन नौकर देवेन्द्र कुमार उर्फ छोटू, सुरेन्द्र व मुकेश रहते थे। दिनांक 21.07.2011 की रात वह व उसकी पत्नि द्वितीय फ्लोर पर व उसके माता-पिता प्रथम फ्लोर पर स्थित शयनकक्ष में थे। रात को करीब 10-10:30 पीएम के आसपास तीनों नौकरों देवेन्द्र कुमार उर्फ छोटू, सुरेन्द्र व मुकेश व विजय कुमार उर्फ खुशीलाल ने अन्य अज्ञात साथियों के साथ एक राय होकर इनके घर में नाजायज रूप से प्रवेश किया। हथियारों से लैस होकर राहुल बोथरा व उसकी पत्नि, पिताजी, माताजी को अपने कमरों में बंधक बनाकर थाप मुक्को से मारपीट की, नशीला पदार्थ सुंघाया व हथियार दिखाकर इनके कमरों, कार्यालय व दुकान में पडे जेवरात, नकद रूपये वगैरह लूटकर ले गये। मारपीट से सभी के गंभीर चोटे लगी जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बन्दी द्वारा घर में अन्य साथियों के साथ प्रवेश कर बुजुर्ग दम्पति के साथ मारपीट कर हत्या का अपराध कारित किया।

4. वाकिल उर्फ वकील पुत्र पदमो उर्फ पदमा उर्फ पदमनाथ, जिला कारागृह, टोंक :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 10 वर्ष 02 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 396 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 27.04.2014 को साध्वी उमा देवी के आश्रम में बंटी, मैना, फूलन्ता, टीना, स्वीटी, गणेशी बाई, जगनी बाई, बिरधी बाई सभी सोये हुये थे। रात्रि करीब 1:30 बजे वाकिल उर्फ वकील अपने 8-9 साथियों के साथ आश्रम में घुसा और आश्रम वासियों के साथ मारपीट की। मारपीट की चोटों से बंटी व मैना की मृत्यु हो गई तथा बन्दी व उसके साथी नकदी रूपये, जेवरात सोना-चान्दी लूटकर आश्रम से निकल गये। इस प्रकार बन्दी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ आश्रम में घुसकर मारपीट कर लूटपाट करना तथा दो व्यक्तियों की नृशंस हत्या का अपराध कारित किया है।

5. जगदीश चन्द पुत्र प्यारचन्द उर्फ प्यारेलाल, केन्द्रीय कारागृह, कोटा :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

अभियुक्त जगदीश द्वारा अपने सहअभियुक्त शिमला के साथ राजेन्द्र अग्रवाल एवं गीता अग्रवाल के घर में रात्रि के समय प्रवेश किया एवं भारी मात्रा में लूट करते हुए दोनों वृद्ध निसहाय दम्पति की वहशी तरीक से हत्या कर दी। उक्त कृत्य अभियुक्तगण द्वारा अत्यन्त घृणित व नृशंष तरीके से बर्बरतापूर्वक अपराध करने की श्रेणी में आता है।

6. मोहम्मद आसिफ उर्फ दाउद पुत्र मोहम्मद ईलियास, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 05 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 18.09.2014 की रात्रि को परिवादी महिला, उसके पति, ससूर व दो बेटे घर में सोये हुए थे। दिनांक 19.09.2014 को सुबह करीब 2:30 बजे से 04:30 के बीच में उनके घर में मोहम्मद आसिफ उर्फ दाउद अपने अन्य साथियों के साथ मकान की रसोई की जाली तोडकर अन्दर घुस गये। उन्होंने उसके व उसके पति के साथ मारपीट की। एक ने उसके पति के सिर पर लोहे के पाने से मारा। एक व्यक्ति ने छुरानूमा हथियार दिखाकर उन्हे डराया तथा उसके व उसके पति के हाथ पैर बांध दिये। दो व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया और नकदी, जेवरात, मोबाईल आदि लेकर चल गये। इस प्रकार बन्दी द्वारा अन्य साथियों के साथ घर में घुसकर जानलेवा हमला करना एवं महिला के साथ हाथ पैर बांधकर पति के सामने सामुहिक बलात्कार करने का घृणित अपराध कारित किया है।

7. राधेश्याम उर्फ राजू पुत्र उंकार लाल, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 04 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 व 460 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 20.06.2014 को रात्रि करीब 1.30 बजे घर में भंवरलाल व उसकी पत्नि अकेले थे। बन्दी राधेश्याम अपने अन्य साथियों के साथ बुजुर्ग भंवरलाल के घर में घुसा तथा दोनो के उपर बैठ गये व कहा कि रूपये व जेवर कहां है, जल्दी बताओ, नहीं तो मार देंगे। उन्होंने कहा मारो मत रूपये निचले कमरे मे है व साथ चलकर बताती हूँ तो बदमाशान ने बुजुर्ग दम्पति के कपडे से हाथ पैर बांध दिये व भंवरलाल के मुंह में कपडा ठूँस दिया तथा मारपीट की जिससे भंवरलाल की मृत्यु हो गई। बन्दी व उसके

साथी रूपये, जेवर आदि ले गये। इस प्रकार बन्दी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रात्रि को भंवरलाल के मकान में घुसकर उनके हाथ-पैर बांधकर, मुह में कपडा ठूँसकर तथा मारपीट कर बुजुर्ग भंवरलाल की नृशंस हत्या कारित की गई है तथा घर के अन्दर से रूपये तथा जेवर ले जाने का अपराध कारित किया है।

8. रमनदीप सिंह उर्फ रमणा उर्फ बेपरवाह पुत्र कश्मीर सिंह, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 01 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 13 व 14.04.2016 की मध्य रात्रि को रमनदीप सिंह उर्फ रमणा उर्फ बेपरवाह ने अपने अन्य साथी के साथ अनिल कुमार के घर में दीवार फांदकर प्रवेश किया। घर में सो रहे अनिल व उसकी पत्नि के मुँह व सिर पर चोटे मारी जिससे अनिल की मृत्यु हो गई एवं उसकी पत्नि गंभीर रूप से घायल हो गई। बन्दी द्वारा अन्य साथी के साथ मिलकर घर में रखे जेवरात, एक बकरी व उसके दो बच्चे, एक एलईडी, बक्सा व आलमारियों से सामान लूटकर नृशंष हत्या का अपराध कारित किया गया है।

9. सुखवीन्द्र उर्फ घोना पुत्र गुरमीत सिंह, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 13 व 14.04.2016 की मध्य रात्रि को सुखवीन्द्र उर्फ घोना ने अपने अन्य साथी के साथ अनिल कुमार के घर में दीवार फांदकर प्रवेश किया। घर में सो रहे अनिल व उसकी पत्नि के मुँह व सिर पर चोटे मारी जिससे अनिल की मृत्यु हो गई एवं उसकी पत्नि गंभीर रूप से घायल हो गई। बन्दी द्वारा अन्य साथी के साथ मिलकर घर में रखे जेवरात, एक बकरी व उसके दो बच्चे, एक एलईडी, बक्सा व आलमारियों से सामान लूटकर नृशंष हत्या का अपराध कारित किया गया है।

10. श्यामलाल पुत्र शंकरलाल, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 10 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 24.05.2015 को रात्रि के समय बन्दी श्यामलाल ने अपने अन्य साथी के मिलकर उदयलाल को पत्थर या धारदार हथियार से चोट पहूँचाकर मार दिया और उसकी सोने की मुरकियां व चांदी का कडा लूटकर ले गये। इस प्रकार बन्दी ने अन्य साथी के साथ मिलकर उदयलाल की निर्मम हत्या की व उसके पहने हुये जेवर लूटकर ले जाने का घिनौना अपराध कारित किया है।

11. रतनसिंह पुत्र भोपाल सिंह, वि.केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 10 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 24.05.2015 को रात्रि के समय बन्दी रतनसिंह ने अपने अन्य साथी के मिलकर उदयलाल को पत्थर या धारदार हथियार से चोट पहूँचाकर मार दिया और उसकी सोने की मुरकियां व चांदी का कडा लूटकर ले गये। इस प्रकार बन्दी ने अन्य साथी के साथ मिलकर उदयलाल की निर्मम हत्या की व उसके पहने हुये जेवर लूटकर ले जाने का घिनौना अपराध कारित किया है।

12. फारूख पठान पुत्र ईस्माइल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 07 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

सायरी देवी जो घर में अकेली रहती थी, की बन्दी फारूख पठान ने दिनांक 26 व 27.07.2014 की रात्रि को गले में फांसी लगाकर तथा मुँह व आँख पर चोट मारकर हत्या कर दी गई व उसके दोनों पैरों की कडिया लूटकर ले गया। इस प्रकार बन्दी ने लूट के आशय से एक बुजुर्ग महिला की निर्मम तरीके से हत्या करने का अपराध कारित किया है।

13. राजू पुत्र मोहन, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 02 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 14.10.2016 को दिन में बुजुर्ग औंकारलाल व उसकी पत्नि घर में अकेले थे। बन्दी राजू अपने अन्य साथी के साथ बुजुर्ग औंकारलाल के घर में घुसा तथा बुजुर्ग दम्पति के कपडे से हाथ पैर व मुंह बांध दिया व मारपीट की तथा गले में कपडे का फंदा डालकर औंकारलाल की हत्या कर दी व रूपये, जेवर आदि ले गये। इस प्रकार बन्दी ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर रात्रि को औंकारलाल के मकान में घुसकर उनके हाथ-पैर, मुंह बांधकर, गले में कपडे का फंदा डालकर बुजुर्ग औंकारलाल की नृशंस हत्या कारित की है तथा घर के अन्दर से रूपये तथा जेवर ले जाने का अपराध कारित किया है।

14. सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 02 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 14.10.2016 को दिन में बुजुर्ग औंकारलाल व उसकी पत्नि घर में अकेले थे। बन्दी सुरेश कुमार अपने अन्य साथी के साथ बुजुर्ग औंकारलाल के घर में घुसा तथा बुजुर्ग दम्पति के कपडे से हाथ पैर व मुंह बांध दिया व मारपीट की तथा गले में कपडे का फंदा डालकर औंकारलाल की हत्या कर दी व रूपये, जेवर आदि ले गये। इस प्रकार बन्दी ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर रात्रि को औंकारलाल के मकान में घुसकर उनके हाथ-पैर, मुंह बांधकर, गले में कपडे का फंदा डालकर बुजुर्ग औंकारलाल की नृशंस हत्या कारित की है तथा घर के अन्दर से रूपये तथा जेवर ले जाने का अपराध कारित किया है।

15. दरबार पुत्र टकरार, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 397, 460 आई.पी. सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 15.09.2011 को रात्रि करीब 4 बजे के लगभग बन्दी दरबार अपने अन्य साथी के साथ वीरेन्द्र गुप्ता के मकान के ड्राईगरूम की खिडकी का एक जंगला तोडकर अन्दर प्रवेश कर बुजुर्ग दम्पति के साथ बेरहमी से मारपीट की एवं आलमारी में रखा हुआ कीमती सामान जेवरात व नकदी लूटकर ले गये। ईलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। बन्दी द्वारा क्रुरता के साथ बुजुर्ग महिला की हत्या कारित की गई है एवं घर में घुसकर जेवरात आदि लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया है।

16. अर्जून शर्मा पुत्र सोमदत्त, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 10 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 06.05.2016 को बन्दी अर्जून शर्मा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिमनलाल का डेढ करोड रूपये की फिरौती के लिए अपहरण किया तथा उसको बन्धक बनाकर उसके साथ मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया गया है।

17. सुखवंत सिंह उर्फ गगन पुत्र मलकीत सिंह, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर:-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 10 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 06.05.2016 को बन्दी सुखवंत सिंह उर्फ गगन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिमनलाल का डेढ करोड रूपये की फिरौती के लिए अपहरण किया तथा उसको बन्धक बनाकर उसके साथ मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया गया है।

18. विक्की पुत्र साधुसिंह, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर:-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 09 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 395 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 06.05.2016 को बन्दी विक्की ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चिमनलाल का डेढ करोड रूपये की फिरौती के लिए अपहरण

किया तथा उसको बन्धक बनाकर उसके साथ मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया गया है।

19. श्यामलाल पुत्र हवजी, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 09 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394, 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 26.12.2015 की रात को बन्दी श्यामलाल ने अपने साथी के साथ मिलकर घर में अकेली सो रही बुजुर्ग महिला भुलकी देवी के दोनों पैर पंजे से काटकर अलग कर दिये व गर्दन काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके पैरों में चांदी की कडियाँ, गले में चांदी की हांसली, कानों में चांदी की झुमकी, हाथों में चांदी के काथलिये व एक हाथ के चांदी के डंक लुटकर ले गये। इस प्रकार बन्दी ने रात के समय अन्य साथी के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या कर पैर व गर्दन काटकर जेवरात लूटने का जघन्य अपराध कारित किया गया।

20. कालू पुत्र सुवालाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 03 माह की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 29.04.2016 की रात को बन्दी कालू ने घर में सो रही महिला सोहनी देवी के दोनों पैर पंजे से काटकर अलग कर दिये व सिर में गंभीर चोट मारकर तथा गले में दुपट्टे से फांसी लगाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके पहने हुये गहने लूटकर भाग गया। इस प्रकार बन्दी ने रात के समय महिला के पैर काटकर व गले में दुपट्टे से फांसी लगाकर नृशंस हत्या कर तथा जेवरात लूटने का जघन्य अपराध कारित किया है।

21. निलेश कुमार उर्फ मोटा पुत्र शिवनाथ शर्मा, वि. केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 02 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 02.11.2013 को दिन के समय बन्दी निलेश कुमार ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर श्रीमती सुशीला राठी के घर में घुसकर मूसली से सिर में गंभीर चोट मारकर बेहाश कर दिया जिससे वह खून से लथपथ हो गई। उसके गले की चैन एवं हाथ की चूडिया जबदस्ती उतार के ले गये। इस प्रकार बन्दी ने महिला को गंभीर चोट पहुँचाने एवं उसके जेवर लूटने का घिनौना अपराध कारित किया है।

22. गोपाल पुत्र हंसराज, वि. केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 13.08.2016 को बन्दी गोपाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुरेश यादव के पुत्र अजीत का लेपटॉप, तीन मोबाईल, गले की चैन सिफ्ट डिजायर कार सहित अपहरण कर लिया एवं फिरौती की मांग की। इस प्रकार बन्दी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फिरौती के लिए अपहरण करने का गंभीर अपराध कारित किया, जो कि समाज व परिवार को विचलित करने वाली घटना थी।

23. श्रवण कुमार पुत्र मोहन राम, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 20.03.2018 को दोपहर करीब 2.00 बजे के बाद से दिनांक 22.03.2018 के दौरान बन्दी श्रवण कुमार ने छोकाराम की नृशंष तरीके से हत्या कर दोनों कानों के सोने के गोकरू व झेला एवं दांए हाथ में एक चांदी का कडा लूट लिया। इस प्रकार बन्दी ने लूट के आशय से छोकाराम की निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया।

24. नोजीराम पुत्र खरता, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 06 वर्ष 09 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 व 397 आई. पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

मानाजी अपनी पत्नि के साथ भाईयों की पंचोली में स्थित मकान में अकेले रहते थे। दिनांक 15.09.2016 को उसकी पत्नि भंवरीबाई उम्र 65 वर्ष घर से करीब 4.00 पीएम पर खेत में मवेशी के लिए चारा लेने गई थी। जब वह शाम तक नहीं आई तो घरवालों ने खेत के आसपास तलाश किया। अंधेरा हो जाने से वो टॉर्च लेकर खेत पर गए। गन्ने व मक्का की फसल के अन्दर जाकर देखा तो भंवरीबाई की लाश मिली। बन्दी नोजी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके दोनों पांव घुटनों से थोडा नीचे काटकर अलग कर दिये व सिर में चोट मारकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, उनकी पहनी हुई रकमे, पांव की कडियां डेढ किलो चांदी की व नाक में पहनी सोने की नथ और कान में पहने सोने के गाले लूटकर ले जाने का अपराध कारित किया।

25. प्रदीप शर्मा उर्फ लंगडा पुत्र रमाकांत शर्मा, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर:-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 05 वर्ष 05 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 06.09.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 395, 397 आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 09.01.2012 को रात्रि 08:30 बजे के लगभग श्यामलाल सौनी अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था। दुकान के जेवरात बैग में भर कर करीब 450 ग्राम सोने के जेवरात व 20-25 किलो चांदी के जेवरात दो लाख रूपये रोकड थे। बन्दी प्रदीप शर्मा ने अपने अन्य साथियों के साथ पीछे से सिर पर एक डण्डे की मारकर श्यामलाल सोनी को घायल कर दिया व जेवरात एवं रूपयो का बैग लेकर फरार हो गये। इस प्रकार बन्दी ने सरेआम जेवर व रूपये लूटने का गंभीर अपराध कारित किया।

26. विनोद पुत्र भरतलाल, केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर:-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 04 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 29.09.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 01.12.2014 को दिन के समय ओमवती घर पर अकेली थी। उस समय बन्दी विनोद जो कि उसका रिश्तेदार भी था और उम्र में महिला से लगभग 30 वर्ष छोटा था, घर में आकर उसके हाथ-पैर बांधकर बलात्कार किया तथा तौलिये से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी व नकदी, जेवरात व कार लूटकर ले गया। इस प्रकार बन्दी का, रिश्तेदार

बनकर मृतका के साथ बलात्कार करना, हत्या करना तथा घर में लूटपाट करने का पैशाचिक प्रवृति का अपराध कारित किया गया।

(ब) निम्न प्रकरणों में बन्दियों द्वारा किया गया घृणित अपराध उनकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बन्दियों को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उनके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने तथा समाज हेतु खतरा बन सकने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से इन बन्दियों को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया:-

27. कालूराम पुत्र लच्छा भील, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 12.11.2015 को रात को करीब 10.30 बजे परिवादिया श्रीमती श्याम कुंवर के पडोस में रहने वाली श्रीमती लच्छुडी अपने शराबी पति कालुराम भील से बचने के लिए परिवादिया के घर चिल्लाती हुई आई कि उसका पति उसे मार रहा है और वह जान बचाकर आयी है, इसलिये आपके घर सोने दो। कालुराम ने लच्छुडी के साथ पहले भी 3-4 बार मारपीट की थी। लच्छुडी घर में नीचे सो गई। तत्पश्चात करीब 11 बजे जब वे सो रहे थे तब कालुराम भील ने घर का दरवाजा खटखटाया व कहा कि मेरी पत्नि तुम्हारे घर में है। जिस पर परिवादिया ने घर का दरवाजा खोला तो कालुराम ने उसी समय तिरमसी (मटके रखने का स्टेण्ड) से लच्छुडी को जान से मारने की नीयत से उसके सिर में मारी जिससे लच्छुडी के सिर से खून निकलने लगा। उसके बाद कालुराम ने पास में पडे बाजोट को उठाकर लच्छुडी को मारा जिससे लच्छुडी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बन्दी ने अपनी पत्नि की मृत्यु कारित करने के आशय से परिवादिया के मकान में प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन किया एवं अपनी पत्नि की बेरहमी से हत्या कर दी।

28. कुलदीप सिंह पुत्र देवीसिंह, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 06 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 24.10.2014 को रात करीबन 10 बजे राजूसिंह और उसकी माता घर पर सो रहे थे, कुलदीपसिंह शराब पीकर उसके घर का दरवाजा तोडकर घर में घुसा और उसकी माता जो सोयी हुई थी, को जान से मारने की नियत से दो चाकू जोर से पेट में मारे जिससे ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बन्दी द्वारा घर में सोयी हुई महिला की नृशंष तरीके से हत्या का अपराध कारित किया है।

29. जोसी उर्फ जगदीश पुत्र चौपाराम, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 12.11.2015 की रात्रि को करीबन आठ बजे बन्दी जोसी उर्फ जगदीश ने अन्य साथी के साथ मिलकर बरसो पुरानी तीस सालाना रंजिश को लेकर घर में सो रहे उदा के गले में तलवार खोपकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी।

30. विवेक पाण्डे पुत्र महादेव पाण्डे, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 07 वर्ष 02 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.08.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

दिनांक 19.01.2017 को बद्रीलाल माली की कार स्वीफ्ट डिजायर का वाहन चालक नन्दराम उबेर कम्पनी में डयूटी पर था। लगभग 12.30 पीएम पर गाडी को नन्दराम लेकर विवेक पाण्डे व उसके अन्य साथियों के साथ गोपालपुरा बाईपास पहूँचा जहाँ पर गाडी में बैठे विवेक पाण्डे व उसके अन्य साथियों ने नन्दराम को गोली मार दी। गोली पेट में लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

(स)अन्य प्रकरण:-

1. लालचन्द पुत्र कालूराम, केन्द्रीय कारागृह, कोटा :-

बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 09 वर्ष 09 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में प्रकरण पर विचार कर बन्दी प्रतिबंधित धारा 460 आई.पी.सी. में

10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दण्डित होने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था। बन्दी द्वारा प्रतिबंधित धारा की सजावधि पूर्ण कर ली है किन्तु बंदी के द्वारा पैरोल उपभोग के दौरान बाहरी व्यक्ति को धमकी दिये जाने पर पैरोल रिवोक की गई, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने के कारण दिनांक 27.10.2023 को 05 दिवस रेमीशन जप्त किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः जेल दण्ड से दण्डित होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी लालचन्द पुत्र कालूराम** को खुला बंदी शिविर में नही भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	**सदस्य सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**
उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।